

अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यासों में अभिव्यक्त मुस्लिम महिला जीवन

गीता चिन्ह

लिखा गया हिन्दी

कृष्ण चन्द्र मोर्मा महाराजा

मुम्बई, गोदावरी नगर

दूर्गा पर्वीष वर्मा

प्रोफेट डॉक्टरट फैसला

चौथा च० मिशन विश्वविद्यालय

मुम्बई

शोध - सारांश

इस्लामिक जीवन में कभी - कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं जब पति - पत्नी द्वारा साथ रहना कठिन हो जाता है। किन्तु कोई भी समाज इस रिश्ते को अनुमति नहीं देता। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में जब विवाह विच्छेद का विधान किया तो इसे पुराने सम्बन्धों से मुक्त होने के लिए एक विचारणा कदम मानकर स्त्री समाज की विजय बताया गया लेकिन मुस्लिम समाज ने छठी शताब्दी में ही विवाह विच्छेद का विधान किया था लेकिन आज वह कुर्सियां आम व्यक्ति कई बार तलाक को अपनी स्वच्छन्दता के लिए भी लेता है। वर्तमान समय में तीन तलाक का मुद्दा काफी मुख्यों में इस एक गम्भीर विचारणीय विषय भी। तीन तलाक स्वयं में कई बड़े विवरण देता है। जिसमें मूलभूत प्रश्न जैसे - 'इसका हल क्या निकलेगा' और महिलाओं को उनका सही हक आखिर कब मिलेगा' आदि शामिल हैं। तीन तलाक सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़ा प्रश्न नहीं है अपितु महिलाओं के लिए और उनके हक से जुड़ा विषय है जिससे लम्बे समय से मुस्लिम विचारणा हुज रही है।